न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : सुप्रिया (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या नया 02/2023

वाद दायरी दिनांक 02.01.2023

1. श्रीकृष्ण मिश्रा पुत्र स्व. श्री बाबुलाल मिश्रा जाति ब्रहामण निवासी मिश्रों का मोहल्ला वार्ड न0 21 मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं

वादी

वनाम

1. जमनाराम पुत्र नन्दराम जाति ब्रहामण निवासी मण्डावा तहसील मण्डावा।
2. तहसीलदार मण्डावा जरिये लैण्ड होल्डर तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।

प्रतिवादीगण

वकील वादी – श्री महेन्द्र नेमीवाल

दावा बाबत धोषणार्थ व रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय

निर्णय दिनांक 18.07.2024

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि निम्न वर्णित जमीन सरहद राजस्व करबा मण्डावा तहत तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनूं में स्थित है।

गत खसरा नं	तांदादी
224/5	6 बीघा

कुल किता 1 कुल तादादी 6 बीघा है।

उक्त जमीन के दौराने पैमाईश हाल खसरा नं. निम्न प्रकार बने रू–

हाल खसरा नं.	क्षेत्रफल
541	1.52 है0

कुल किता 1 कुल क्षेत्रफल 1.52 हैक्टयर है। यह कि वाद पत्र की धारा एक मे वर्णित जमीन के राजस्व रिकार्ड में वर्तमान में गैर खातेदार के तौर पर जमनलाल पुत्र नन्दराम, जाति ब्रह्मण दर्ज है जो कि दावा में प्रतिवादी न. 1 है। वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि का विक्रय दिनांक 30.08.1978 को प्रतिवादी न. 1 ने पारिवारिक जरूरतों के लिये रूपयों की आवश्यकता होने पर 37 हजार रूपये प्रतिफल के बदले वादी को विक्रय कर दी व उसी समय प्रतिवादी न. 1 ने वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि का कब्जा वादी को करवा दिया तब से लेकर आज तक वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि पर वादी काबिज काश्त है। उक्त विक्रय पत्र की लिखावट वाद पत्र के साथ संलग्न है। प्रतिवादी न. 1 द्वारा वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि का विक्रय वादी को किये जाने व कब्जा दिये जाने के पश्चात गिरदावरी सम्वत 2033 से 2036 में वादी का नाम दर्ज हो गया। वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि की गिरदावरी सम्वत 2033 से 2036 में वादी का नाम दर्ज होने से वादी ने यह समझ लिया कि उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दर्ज हो गया है। इस कारण वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड की तरफ वादी ने कभी भी ध्यान नही दिया।दिनांक 22.12.2022 को

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

वादी ने वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि पर लोन लिये जाने हेतु पटवारी हल्का मण्डावा से सम्पर्क किया तो पटवारी मण्डावा ने वादी को बताया की वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि का राजस्व रिकार्ड वादी के नाम दर्ज नही है। वर्तमान में भी उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड बतौर गैर खातेदार के रूप में जमनालाल के नाम दर्ज है। इस बात की जानकारी होने पर वादी ने वाद की पत्र की धारा 1में वर्णित भूमि का राजस्व रिकार्ड स्वंय के नाम दर्ज करवाने हेतु दिनांक 26.12.2022 को एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार महोदय मण्डावा के समक्ष प्रस्तुत किया तब तहसीलदार महोदय मण्डावा ने वाद पत्र की धारा एक में वर्णित भूमि का राजस्व रिकार्ड वादी के नाम दर्ज किये जाने के लिए वादी को सक्षम न्यायालय में दावा प्रस्तुत किये जाने की सलाह दी। इस कारण वादी को माननीय न्यायालय मे दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।अतः दावा मय शपथ पत्र एवं डुप्लीकेट प्रति पेश कर निवेदन है कि :–

(क) वाद वादी डिक्री किया जाकर जमीन हाल ख.नं. 541 रकबा 1.52 हैक्टेयर सरहद राजस्व कस्बा मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में से प्रतिवादी न. 1 का नाम हजफ किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं उक्त खसरा नं. की खातेदारी अलग से वादी के नाम दर्ज की जावे

दावा दर्ज रजिस्टर कियां जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। प्रतिवादी न0 01 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहें। प्रतिवादीगण की तामील विधिवत पूर्ण होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपस्थित नहीं होते है तो यह मानकर कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी प्रतिवादीगण संख्या 01 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 02 ने पत्रांक भू.अ./2022/293 दिनांक 02.03.2023 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि भूमि ख.न. 541 रकबा 1.52 है. किस्म बारानी 2 वर्तमान राजस्व रिकार्ड में जमनलाल पुत्र नन्दाराम जाति ब्राहमण सा. देह गैर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है मौके पर भूमि खाली है कास्त के काम आ रही है वर्तमान में उक्त भूमि श्री कृष्ण मिश्रा पुत्र बाबुलाल मिश्रा जाति ब्राहमण के कब्जा काश्त में है।

प्रतिवादी न0 01 के विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गई। अतः वाद में तनकी(ISSUES) कायम करने की आवश्यकता प्रतित नहीं होती है।

वादी द्वारा दस्तावेज की सूची के साथ खसरा मिलान क्षेत्रफल,, जमाबन्दी सम्वत 2061 से 2081,2065–2068, 2069–2072, 2041–2044,2032–2035, 2028–2031, गिरदावरी सम्वत 2033–2036, विक्रय लिखावट पेश किया गया।

जवाब देही पूर्व होने पर विद्वान अधिवक्ता की बहस श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से वाद वादी को स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी न0 01 का नाम हजफ किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करने का निवेदन किया गया।

...द अधिकारी

विधि में भूमि के घोषणा के लिये निम्न प्रावधान है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 में अधिकारों की घोषणा का प्रावधान किया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण में तहसीलदार मण्डावा के पत्रांक भू.अ./2022/293 दिनांक 02.03.2023 के अनुसार भूमि ख.न. 541 रकबा 1.52 है. किस्म बारानी 2 वर्तमान राजस्व रिकार्ड में जगनलाल पुत्र नन्दाराम जाति ब्राहमण सा. देह गेर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है मौके पर भूमि खाली है काश्त के काम आ रही है वर्तमान में उक्त भूमि श्री कृष्ण मिश्रा पुत्र बाबुलाल मिश्रा जाति ब्राहमण के कब्जा काश्त में है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2033–36 में कृष्ण पुत्र बाबुलाल के नाम काश्त के रूप में दर्ज है। हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। समस्त तथ्यों, उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर याद यादी की ओर से दौराने बहस किये गये कथनों के आधार पर आंशिक रूप स्वीकारकिया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः बाके ग्राम मण्डावा के भूमि ख.न. 541 रकबा 1.52 हेक्टर किस्म बारानी–2 में गैर खातेदार प्रतिवादी न० 01 का नाम हजफ किया जाकर यादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार अन्तिम डिकी जारी हो। निर्णय आज दिनांक 18.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुप्रिया)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मण्डावा जिला झुंझुनूं (राज0)

पिठासीन अधिकारीः–सुप्रिया
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणार्थ

अन्तिम वाद डिकी

मुकदमा नम्बर :– राजस्व वाद संख्या 02/2023 कृष्ण मिश्रा बनाम जमनाराम वगै.

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, सुप्रिया (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा वहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 18.07.2024 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके गग्रमा मण्डावा के भूमि ख.न. 541 रकबा 1.52 हैक्टर किस्म बारानी –2 में गैर खातेदार प्रतिवादी न0 01 का नाम हजफ किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 18.07.2024 को जारी की गई।

सुप्रिया (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा